

आपनावरुपक

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2014

जयपुर, दिनांक : 14/05/15.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।


विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम नियोजन के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा नामित किये गये जिला प्रभारियों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी की जा रही मस्टररोल समय पर फील्ड में नहीं पहुँचाई जा रही है। इसके कारण जारी मस्टररोल के अनुरूप श्रम नियोजन नहीं हो रहा है।


अतः इस संबन्ध राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप मस्टररोल प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से मस्टररोल संबन्धित क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रेषित किया जाना एवं मस्टररोल प्रारम्भ होने की तिथि को कार्य पर नियोजन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

  
(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सह कार्यक्रम अधिकारी समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

  
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस